


25.08.2022

पत्रावली लोक अदालत की बेंच संख्या एक से प्राप्त होकर आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थी अधिवक्ता इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत की बेंच संख्या एक के समक्ष इस प्रार्थना पत्र को Not Press किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिए Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलक्टर,सिरोही

